

फर्द अहकाम

[नियम 26]

मालत उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा




मुकाम मालाखेड़ा

बनाम

मुकद्दमा

नं०

सन्

सीख क्रम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>०७।१०।२५ पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी ने मालत नामी पेश किया। वकील वादी प्रतिवादी माल की बीज० हलवी की रसीद दिक रिपोर्ट पेश करे। सीमित अवसर दिया जाकर पत्रावली दि०-०७।११।२५ को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर) राज० </p>	
	<p>०७।११।२५ पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपोत्प्रेत पत्रावली में वकील वादी को पूर्व आदेशिका की पालना हेतु सीमित अवसर दिया जाकर दि०- १३।११।२५ को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर) </p>	
<p>१३।११।२५</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी को आवाजे दिलई गई किंतु वकील वादी हाजिर अदालत नहीं आये। वारी स्वयं भी हाजिर नहीं हैं। अतः वकील वादी की अनु० में वाद अकम फेरवी उपम हाजरी में रबी रिज किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर नम्बर के क्रम हो। बाद भी रिजरा किसत गण्डर हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर) </p>	